हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	... की तामील में जारी हुए
.2021	पत्रावली पेश हुई। वकिलाय फरिकेन उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से वादीगण द्वारा पूर्व पेशी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 उपनिये 1 व 3 सी.सी.पी. का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस अधिवक्तागण सूनी गयी। वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 1 उपनियम 1 व 3 सी.पी.सी. 28.07.2021 को पेश किया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि तहत प्रस्तुत कर अपनी हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 रामगोपाल के पुत्र एवं पुत्री है। तथा वादग्रस्त भूमि पेतृक होकर जन्म से ही वादीगण का हिस्सा निहीत है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण के काका है। दिनांक 19.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त वाद पत्र में जवाब दावा पेश किया जिसमें वर्णित किया वादग्रस्त जमीन का न्यायालय श्रीमान् के वाद संख्या 131/2015 के द्वारा दिनांक 19.07.2019 को बंटवाड़े की अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी है। इस जि वादीगण का घोषणा का वाद नही चल सकता। वादीगण ने वाद दिनांक 18.08.2020 को न्यायालय में पेश किया वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े की डिक्री जारी होने की जानकारी वादीगण को नही थी। क्योकि वादीगण उक्त वाद में पक्षकार नही थे। तथा डिक्री की पालना रिकार्ड में नही होने से भूमि सामलाती दर्ज थी। भूमि का बंटवाड़ा हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादगण के अलग–अलग हिस्सों में दर्ज कर दी गयी है। जिस कारण वाद की विषय वस्तु परिवर्तित हो चूकी है। इसीलिये वादीगण उक्त वाद को विड्रों करना चाहते है। तथा रिकार्ड में हुये परिवर्तन एवं पूर्व वाद संख्या 131/2015 में जारी डिक्री के तथ्य समावेष कर नया वाद पेश करना चाहते है। अतः प्रार्थना है कि इस वाद को विड्रो किये जाने एवं नया वाद प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करावे। विपक्षगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का प्रतिवादी रामगोपाल से लम्बे समय से सम्पर्क नहीं होकर सम्बन्ध समाप्त हो चुके है। पिछले 35–40 वर्षो से कोई सम्पर्क पत्नी पुत्री पुत्र से प्रतिवादी रामगोपाल का नहीं रहा है। वादीगण ने पुत्र पुत्री होने के कर्तव्य का पालन नहीं किया। रामगोपाल के हिस्सें में आयी भूमि उसकी माता एवं उसकी बहनों से प्राप्त भूमि सम्मिलित है जो पुश्तैनी जायदाद नहीं है। बल्कि स्वअर्जित श्रेणी की है। वादीगण पूर्व में स्वीकृत तथ्यों को पलटकर नया वाद नहीं ला सकते है। प्रकरण संख्या 131/2015 में पारित डिक्री में कोई कमी नहीं है। वादीगण की कोई हक अधिकार प्रतिवादी रामगोपाल के हिस्से में आई भूमि में स्थापित नहीं है। वादीगण वादपत्र के खारिज होने के भय से उठा रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर अवलोकन किया। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1,2 ने इसी न्यायालय में वाद पेश कर बटवाड़ें की डिक्री प्राप्त की है। वाद संख्या 131/2015 में पारित बटवाडें की डिक्री से अनभिज्ञ होना वादीगण के लिए स्वभाविक है क्योंकि वे उक्त वाद में पक्षकार नहीं थे। और जिस दिन उन्होंने यह वाद पेश किया उस दिन भूमि रेकार्ड में दोनों प्रतिवादीगण के मध्य शामलाती ही दर्ज थी। क्योंकि डिक्री की पालना रेकार्ड में नहीं हुई थी। इस कारण वादपत्र की विषय वस्तु में उक्त डिक्री से सम्बन्धित तथ्यों का समावेश होने से रह गया जिससे वादीगण नया वाद लाने हेतु एवं इस वाद को विड्रो कराने के न्यायोचित हकदार प्रतित होते है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 उपनियम 1 व 3 दिवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर यह वादपत्र को जरिये विड्रो, इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। वादीगण नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:33:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner